कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

कंमाक क/भू–अर्जन/03/अ–82/2011–12 जगदलपुर, दिनॉक 03/जुलाई/ 2017

प्रति,

संचालक,
जन संपर्क,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः— भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा **19 (1)** एवं धारा **19 (2)** संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन ।

0000

कार्यपालन अभियन्ता, टी0डी0पी0पी0,जल संसाधन संभाग जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा ग्राम कुम्हरावंड उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु ग्राम कुम्हरावंड, पटवारी हल्का नं0 02 तहसील जगदलपुर ,जिला बस्तर की कुल खसरा 10 का रकबा 0.92 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय की धारा **19 (1)** एवं धारा **19 (2)** संबंधी अधिसूचना की तीन प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न अधिसूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

3/7/17

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग बस्तर जिला, जगदलपुर

– अधिसूचना –

कंमाक क/भू–अर्जन/03/अ–82/2011–12 जगदलपुर, दिनाँक 03 जुलाई ,2017

चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि की कुम्हरावंड उद्वहन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा –19 (1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

— अनुसूची —

<u>भूमि का वर्णन –</u>

1/	जिला	—	बस्तर
2/	तहसील	—	जगदलपुर
3/	ग्राम/नगर	—	कुम्हरावंड, प0ह0नं0–02,
4/	भूमि का क्षेत्रफल	—	0.92 हेक्टेयर

खसरा नबंर	रकबा (हेक्टेयर में)
267	0.14
268	0.12
269	0.07
270	0.05
258	0.10
259	0.08
260	0.09
261	0.10
262	0.10
263	0.07
योग :– 10	0.92

1/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर तथा कार्यपालन अभियंता , टी0डी0पी0पी0 जल संसाधन जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2/ प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

3/7/17

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर, जिला बस्तर
एव पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़
शासन राजस्व विभाग

(नियम 19 (2) देखिए)

कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग बस्तर जिला, जगदलपुर

– अधिसूचना –

कंमाक क/भू–अर्जन/03/अ–82/2011–12 जगदलपुर दिनॉक 03 जुलाई, 2017

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) के तहत यह धोषित किया जाता है कि **ग्राम कुम्हरावंड तहसील जगदलपुर** की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगें ।

कंमाक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें ।
1	2	3
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता ।
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता ।
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता ।
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश कंमाक एफ–7–4/सात–1/2015/दिनॉक 29.08.2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू–अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका–4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	लागू नहीं होता ।
06	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता ।
07	पशु बाड़ा/ छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता ।
08	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता ।
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता ।
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता ।
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता ।

2– तद्अनुसार आज दिनॉक 03/07/2017 को यह धोषणा पत्र जारी किया जाता है ।

3/7/17

(धनंजय देवांगन)

कलेक्टर,

बस्तर जिला